

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

उद्यान मवन, चौबटिया-रानीखेत, अल्मोड़ा

दूरभाष- 05966-222722, 0135-2759799


ई-मेल- missionhortluk@gmail.com

पत्रांक ⁸⁵⁷ / क्लस्टर पॉलीहाउस पंजीकरण / 2023-24

दिनांक, जून ²⁴.....2023

विज्ञप्ति निरस्तीकरण की सूचना

नाबार्ड की RIDF योजनान्तर्गत क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (नैचुरली वेंटीलेटेड) में सब्जी एवं फूलों की खेती हेतु उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में कास्तकारों को पॉलीहाउस एवं सब्जी/पुष्प पौधों से लाभान्वित करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 752/क्लस्टर पॉलीहाउस पंजीकरण/2023-24, दिनांक 03.06.2023 व पत्रांक 811/क्लस्टर पॉलीहाउस पंजीकरण/2023-24, दिनांक 14.06.2023 से विभिन्न समाचार पत्रों में अभिव्यक्ति की अभिरूचि (Eoi) के माध्यम से पॉलीहाउस निर्माणकर्ता फर्मों/कम्पनियों/संस्थाओं से पॉलीहाउस की दरों एवं विशिष्टियों व सब्जी/पुष्प उत्पादक पौधालयों/फर्मों/कम्पनियों से उच्चगुणवत्तायुक्त सब्जी/पुष्प पौधों की दरों एवं विशिष्टियों का पंजीकरण किये जाने हेतु पॉलीहाउस निर्माता फर्मों/कम्पनियों/संस्थाओं व सब्जी/पुष्प पौध उत्पादक पौधालयों/फर्मों/कम्पनियों से पृथक-पृथक आवेदन आमन्त्रित किये गये हैं। उपरोक्तानुसार अभिव्यक्ति की अभिरूचि (Eoi) के माध्यम से पंजीकरण (Empanelment) के लिये आवेदन आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है।


निदेशक
उद्यान